E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

# महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी (मनरेगा) की ऐतिहासिक प्रासंगिकता

**मोना यादव**
शोधार्थी
विषयः अर्थशास्त्र

**डॉ. पवन कुमार श्रीवास्तव**
मार्गदर्शक,
श्रीमंत माधवराव सिंधिया
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शिवपुरी (म.प्र.)

**Paper Received date**
05/05/2026
**Publishing Date**
10/05/2026
**DOI**
https://doi.org/10.5281/zenodo.21443530

IMPACT FACTOR 5.924

## शोध सार

भारत में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भूमिका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कृषि, उद्योग, शिक्षा, यातायात, संचार, स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था आदि सम्पूर्ण क्षेत्रों में तीव्र विकास दृष्टिगोचर हुआ है। आजादी के समय एक आलपिन का निर्माण भी संभव नहीं था, आज विष्व में भारत की छवि एक सशक्त आर्थिक एवं सामरिक देश के रूप में उभरी है। पिछले छह दशकों में विकास की गति को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने हेतु बड़े–बड़े कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण किया गया। विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए गए तथा गरीब एवं पिछड़े वर्गों को रोजगार एवं विकास के साधन उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयासों को मूर्त रूप भी प्रदान किया गया है।

**मुख्य बिन्दुः** कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वतंत्रता, दृष्टिगोचर, अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार

भारतीय संविधान के भाग–4 में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है।[1] संविधान के अनुच्छेद–36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह तत्व राज्य के लिए न्याय योग्य न होते हुए भी महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक की भूमिका में है। अनुच्छेद–40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन एवं उनकी शक्तियों के संदर्भ में निर्देशित किया गया है तथा अनुच्छेद–46 में कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया गया है। भारत में ग्राम विकास की चेतना का सूत्रधार महात्मा गांधी को माना जाता है। गांधी जी प्रत्येक गांव को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाकर समानता पर आधारित एक ऐसे राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे, जिसमें अमीरी–गरीबी, धर्म, जाति, वर्ग सम्बन्धी भेदभाव या विषमताओं का कोई स्थान न हो। गांधी जी के कथनानुसार, भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, अतः समृद्ध भारत के निर्माण के लिए सर्वप्रथम गांवों को एक इकाई मानकर कार्ययोजना निर्धारित की जानी चाहिए और भारत के विकास की प्रत्येक योजना की शुरुआत गांवों से की जानी चाहिए। मनरेगा की ऐतिहासिक पृश्ठभूमि ''भारत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारम्भ की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) काल में ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु जागरूकता एवं जनसहभागिता की आवश्यकता महसूस की गई।''[2]

इसी क्रम में सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1952 में केन्द्र सरकार द्वारा बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया। सन 1958 में समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सिफारिश की गई कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु ग्राम्य स्तर पर ही संस्थाओं का गठन किया जाए तथा विकास के समस्त कार्य इन्हें प्रदान

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

किए जाएं। इन्हीं सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा नागौर, राजस्थान में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। ''देश में पंचायती राज की आधारशिला रखी जा रही है, यदि गांधी जी हमारे मध्य होते तो अवश्य ही खुश होते, यह एक ऐतिहासिक कार्य है।''[3]

## भारत में मनरेगा के उदभव एवं विकास

भारत में रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान आजीविका स्रोतों को और बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता विकास नियोजन के शुरुआती दौर में ही महसूस की जाने लगी थी। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई रोजगार कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को रोजगार दिया जाता था। मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को प्रायोगिक स्तर पर रूरल मैन पावर (1960–61), क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट (सीआरएसई) (1971–72), नमूना सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पीआईआरईपी) (1972), लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए), सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक योजना (एमएफएएल) आदि कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। सन 1977 में काम के बदले भोजन योजना (एफडब्ल्यूपी) के माध्यम से इन कार्यक्रमों को एक संपूर्ण मजदूरी आधारित कार्यक्रम में रूपांतरित कर दिया गया।

अस्सी के दशक में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) के रूप में और ठोस रूप दिया गया। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) (1993–94), रोजगार आष्वासन योजना (ईएएस) को मिलाकर सन 1999–2000 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) शुरू की गई और इसे एक ग्रामीण अवरचनागत कार्यक्रम बना दिया गया। सन 2000–01 से इस कार्यक्रम को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में तथा सन 2005 से राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) (2005) में मिला दिया गया। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए गए ये वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रम स्वलक्ष्य निर्धारण की पद्धति पर आधारित थे तथा इनका उद्देश्य दिहाड़ी शारीरिक श्रम पर आश्रित गरीबों को बेहतर रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना था। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र सरकार ने जरूरतमंद लोगों को वेतन आधारित रोजगार मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना तथा महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 सूत्रबद्ध किया। इन कार्यक्रमों से मिले अनुभवों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। यह कानून 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। मनरेगा का महत्व इस बात में निहित है कि यह कानून मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को अधिकार केंद्रित दृष्टिकोण से देखता है और रोजगार मांगने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बनाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कानून केवल सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता बल्कि रोजगार अधिकार की गारंटी देता है। मनरेगा योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य सरकार द्वारा लोगों के आर्थिक एवं सामाजिकोत्थान हेतु विभिन्न लोक कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं का सूत्रपात किया जाता रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को भी इसी परिप्रेक्ष्य में शासन के एक ऐतिहासिक एवं सामयिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, इस योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्य इस प्रकार हैं।

योजना के उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। इस कानून का दूसरा उद्देश्य स्थायी संपदाओं का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ता प्रदान है। इस अधिनियम में सुझाए गए कामों में सूखा, वन विनाश, मृदा क्षरण, आदि ऐसे कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो स्थायी गरीबी को

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

जन्म देते हैं। इसके पीछे यही सोच रही है कि रोजगार संवर्द्धन की प्रक्रिया एक टिकाऊ आधार पर चलती रहे तथा गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभवंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था।
- टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के माध्यम से निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा की स्थापना। ग्रामीण भारत में सूखा रोधान और बाढ़ नियंत्रण।
- अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक रूप से लाभवचित, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना।
- विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका सम्बन्धी पहलुओं में तालमेल के माध्यम से विकेंद्रीकृत, भागीदारी पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ता प्रदान करना।
- पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।
- शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
- अकुशल श्रमिकों हेतु रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सामाजिक–आर्थिक न्याय एवं समानता की स्थापना।
- सामाजिकोत्थान की दिशा में प्रयास।
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ गरीबों को सम्मान सहित जीने का अवसर उपलब्ध कराना।

सन 1992 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया, इसे सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत देश के सभी राज्यों में लागू पंचायती राज व्यवस्था के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का सूत्रपात किया जाता रहा है। कतिपय महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम अधोलिखित हैं, यथा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत (1951–56), सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (1953–54), ग्रामीण आवासीय योजना (1957–58), ट्राइसेम (1979–80), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1994–95). ट्राइसेम क्षेत्र में गरीब श्रमिकों, भूमिहीन श्रमिकों एवं बेरोजगारों को श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र आधारित एवं प्रारम्भिक कार्यक्रमों के रूप में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम (1960–61), ग्रामीण रोजगार क्रैश कार्यक्रम (1971–72). पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1972–73), काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1977–78), अन्त्योदय योजना (1977–78), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980–81), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1983–84). जवाहर रोजगार योजना (1989–90), सुनिश्चित रोजगार योजना (1993–94), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999–2000), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2000–01), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (2005), प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (2009), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (2013) आदि रोजगारपरक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। भारत के समन्वित आर्थिक विकास के मार्ग में गरीबी एवं बेरोजगारी प्रमुख समस्याएं एवं बाधाएं रही हैं। सरकार के नियोजित एवं योजनाबद्ध विकास के छह दशकों के बाद भी देश के लोगों को गरीबी एवं बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिल सकी है। सरकार के कल्याणकारी प्रयत्नों एवं व्यापक राजकोषीय संसाधनों के व्यय के पश्चात भी अधिकांश व्यक्तियों एवं परिवारों को दो जून की रोटी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। पिछले छह दशकों में गरीबों की संख्या में कमी अवश्य दर्ज की गई है. लेकिन गरीबी को हटाया नहीं जा सका है।

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के अंतिम व्यक्ति को भी शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाता है तथा उसके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का अधिकतम प्रयास किया जाता है। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि ग्रामीण व्यक्तियों को आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर सम्बल प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा था कि, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, गांव एवं गरीब के उत्थान के बिना सशक्त एवं समृद्ध भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है।[4] गांधी जी के इसी स्वप्न को साकार करने हेतु भारत के सम्पूर्ण विकास के लिए विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। ग्रामीण भारत के सकल विकास के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक लोक कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना रहा है। सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करने तथा विकास के लाभ सभी को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की थी।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकतर गरीब लोग अकुशल, दिहाड़ी, शारीरिक मजदूरी से प्राप्त होने वाली मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। उनके द्वारा न्यूनतम साधनों पर अपना जीवन निर्वाह किया जाता है और वे गहन गरीबी को आशंका में निरन्तर जीवन व्यतीत करते हैं। श्रम की अपर्याप्त मांग तथा प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी जैसे अनपेक्षित संकट, ये सभी उनके रोजगार अवसरों पर बहुत बुरा असर डालते हैं।[5] विकसित और विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसे रोजगार कार्यक्रम बहुत लंबे समय से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं सड़क निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराया जाता है।

रोजगार कार्यक्रमों का औचित्य कुछ बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है। इस तरह के कार्यक्रम संकट के समय गरीब परिवारों को आय का माध्यम उपलब्ध कराते हैं और उन्हें उपभोग स्तर बनाए रखने में मदद देते हैं। ये कार्यक्रम उन दिनों या सालों में खासतौर से उपयोगी साबित होते हैं, जब खेतिहर रोजगार कम होते हैं। भारी बेरोजगारी वाले देशों में रोजगार कार्यक्रमों से मिलने वाले ये आय स्थानांतरण लाभ गरीबी को बढ़ने से रोकते हैं। इन कार्यक्रमों के कारण स्थाई संपदाओं का निर्माण होता है जिनके कारण दूसरे चक्र के रोजगार भी पैदा होने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए आवश्यक बुनियादी ढॉचा अस्तित्व में आ जाता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) का लक्ष्य कानूनी संरचना के तहत, अधिकारों पर आधारित एक दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सौ दिनों का गारंटीशुदा काम देकर आजीविका सम्बन्धी सुरक्षा देना है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से मजदूरी करते हों।[6]

## संदर्भ सूची

1 भारतीय संविधान, अनुच्छेद–36 से 51.
2 शर्मा बी.एम., लोकतंत्र के उन्नयन में पंचायती राज की भूमिका, योजना, नई दिल्ली, जून 1996, पृ. 19
3 शर्मा गुंजन व कविता चौहान, पंचायती राज अवधारणा एक विहंगम दृष्टि तथा विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, अगस्त 2006, पृ. 28
4 कुरुक्षेत्र, संपादकीय, नई दिल्ली, अक्टूबर 2015, पृ. 22
5 हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 1 मार्च 2013, पृ. 28
6 थॉमस बिजी व रूबी भाटिया, इम्पेक्ट ऑफ नरेगा स्कीम ए स्टडी ऑन दा ऑवरआल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स बेनिफिसियरीज, एशिया पेसेफिक जर्नल ऑफ सोशियल साइंसेज, (2) जुलाई–दिसम्बर 2012, पृष्ठ 15